रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)—

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 382] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 25, 1981/अग्रहायण 4, 1903
No. 382] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOV. 25, 1981/AGRAHAYANA 4, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1981

सा.का.नि 617(अ)/अ.ब./ईख.—केन्द्रीय सरकार, ईख (नियंत्रक) आदेश, 1966 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और उनके उपखंड (1) में वर्णित विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्राधिकारियों, निकायों और संगमों से परामर्श करने के पश्चात् जिनसे परामर्श करना यह आवश्यक समझती है और ईख की आधारित न्यूनतम कीमत 13.00 रुपए क्विंटल

के आधार पर जो 8.5 प्रतिशत या उससे कम वसूली से सहबद्ध है, जिसके साथ 8.5 प्रतिशत से अधिक की प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वसूली की वृद्धि पर 15.2941 पैसा प्रति क्विंटल का प्रीमियम है, इससे उपाबद्ध अनुसूची की स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट कीमत को उस न्यूनतम कीमत के रूप में नियत करती है जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यात पात्र प्रक्रिया वाले ईख के कारखाने के स्वामियों द्वारा या उनके अभिकर्ताओं द्वारा उनके कारखाना द्वार पर या किसी क्रय केन्द्र पर 30 सितम्बर, 1982 को समाप्त होने वाले ईख वर्ष 1981-82 के लिए परिदत्त ईख के लिए संदेय होगी किन्तु ऐसा, उक्त आदेश के खंड 3-क के अधीन उसके लिए संदेय रिबेट के अधीन रहते हुए किया जाएगा ।

अनुसूची

क्रम सं.	कारखाने का नाम	ईख की रुपयों में प्रति क्विंटल न्यूनतम कीमत
(1)	(2)	(3)
1.	कालम्बर विभाग एस.एस.के. लि., भूपालवाडी कालम्बर के निकट, जिला गोदेद	13.00

[सं. 3-5/81-एस.पी.बाई. (डी-2)]

सी. एन. राघवन, संयुक्त सचिव (चीनी)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 1981

G.S.R. 617(E)/Ess. Com./Sugarcane.—In exercise of the powers conferred by clause 3 of the Sugarcane (Control) Order, 1966, and having regard to the various factors mentioned in sub-clause (1) thereof, the Central Government, after consultation with such authorities, bodies and associations as are considered necessary by it to be consulted and on the basis of the basic minimum price of sugarcane at Rs. 13.00 per quintal linked to a recovery of 8.5 per cent or below with a premium of 15.2941 paise per quintal for every 0.1 per cent increase in recovery above 8.5 per cent, hereby fixes the price specified in column (3) of the Schedule hereto annexed as the minimum price that shall be payable by the owner of the vacuum pan process sugar factory specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule or their agents for sugarcane delivered at the gate of the factory or any purchasing centre for

the sugar year 1981-82, ending the 30th September, 1982, subject to the rebates, payable, therefor, under clause 3A of the said Order.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the factory	Minimum sugarcane price in rupees per quintal
(1)	(2)	(3)
1.	Kalamber Vibhag S.S.K. Ltd., Bhupalwadi Near Kalamber, District Nanded.	13.00

[No. 3-5/81-SPY (DII)]

C. N. RAGHAVAN, Jt. Secy. (Sugar)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981